

compliance Sheet of Shortcomings Given by PCCF

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14() 2018/FCA/PCCF/EDS-Dated 27.04.2018

NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU BARMER के द्वारा बाड़मेर जिले एवं वन मंडल बाड़मेर में Development of Emergency Landing Facility on National Highway No. 68 (Old No. 151 from Km 109.740 to km 113.445 of Jaisalmer – Barmer stretch, in the state of Rajasthan के निर्माण कार्य हेतु 6.5976 हेक्टर वन क्षेत्र के अनासक्षण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु पनिवर्तित मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCR पर प्रस्ताव सं. FP/FJ/ROAD/32363/2018 दिनांक 05.03.2018 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षण किये जाने पर निम्न कमिया पाई गई है जिनकी टिप्पणी निम्नानुसार है

Observation/Shortcoming of Forest Department

	<u>Shortcomings</u>	<u>compliance</u>
1	बिन्दु संख्या 3 की पालना के कम में प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B-2.1 में ग्राम वार वन भूमि के विवरण एवं प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में अन्तर एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट के अनुसार मिलान नहीं कर रहा है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	Details of Village wise forest area and total area of forest land proposed for diversion have been corrected.
2	बिन्दु संख्या 4 के कम में प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-ii(b) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न KML file में प्रस्तावित रोड की चौड़ाई एरिया केलकुलेशन शीट से मिलान नहीं करता है। उसके अतिरिक्त सेगमेंट वाइज KML file including PROW दी जानी प्रस्तावित है।	KML file has been corrected.
3	बिन्दु संख्या 5 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-iii में यूजर ऐजेन्सी द्वारा GT Sheet सही प्रकार से अपलोड नहीं किये जाने के कारण खुल नहीं रही है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा GT Sheet पर वन भूमि का सीमांकन, शीर्षक एवं इंडेक्सिंग नहीं की गई है।	Demarcation of forest area, Object and indexing have been done on GT Sheet (Attachment -1).
4	बिन्दु संख्या 6 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट के बिन्दु संख्या C-iv में DGPS / Total station map के स्थान पर राजस्व मानचित्र संलग्न किया गया है। राजस्व स्केल (1से0मी0: 40मी0) पर रखते हुए मय पी0आर0ओ0डब्लू0, प्रस्तावित वन क्षेत्र एवं उसके समस्त कानर्स के अक्षांश एवं देशान्तर संख्या दर्शाते हुए एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत फाइल अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	DGPS map with northing easting of corner of forest area with signature of project director has been corrected (Attachment -2).
5	बिन्दु संख्या 8 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट 1	

	के बिन्दु संख्या E में यूजर ऐजेन्सी द्वारा रोजगार सृजन संबंधी सूचना सही नहीं है वास्तविक सूचना भरी जानी प्रस्तावित है।	
6	बिन्दु संख्या 9 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही अंतर्गत अधिकारों का निबटारा पूर्ण कर लिया है अथवा नहीं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	FRA is under process and undertaking for FRA has been attached.
7	बिन्दु संख्या 10 की पालना के क्रम में प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रोटेक्टेड फोरेस्ट होने के कारण लागू नहीं होना अवगत कराया गया है जबकि इसमें दुगने अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण की शर्त उल्लेखित किया जाकर इस हेतु शपथ पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	Undertaking has been attached.
8	प्रस्ताव में अतिरिक्त सूचनाएँ निम्नानुसार दिया जाना अपेक्षित है: <ol style="list-style-type: none"> परियोजना रिपोर्ट मय कास सेक्शन संलग्न किया गया है किन्तु प्रस्तावित चौड़ाई के अनुरूप नहीं है। संलग्न एरिया केलकुलेशन शीट में गणना त्रुटि है इसके अतिरिक्त 30 मीटर चौड़ाई में सडक प्रस्तावित की गई है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों में 33 मीटर चौड़ाई में सडक बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त एरिया केलकुलेशन शीट ग्रामवार / खसरावार संलग्न की गई है किन्तु गणना में सही नहीं होने के कारण दिनांक 25.4.2018 को इनके प्रतिनिधि को समझा दिया गया है। प्रस्ताव में संलग्न गैर वन भूमि का पूर्ण विवरण नहीं भरा गया है। 	Cross Section of existing NH portion has been attached (Attachment -11). Area Calculation sheet has been corrected (Attachment -12).


Project Director
 National Highway Authority of India
 REC, BARMER (Guj)